

का० ज्ञा० सं० 13034/49/90 रा० भा० (ग), दिनांक 25.7.1994

विषय:—अंग्रेजी के अतिरिक्त हिंदी में भी सरकारी कामकाज करने के लिए आशुलिपिकों तथा टाइपस्ट्री को हिन्दी प्रोत्साहन भला देना

राजभाषा विभाग के 12 अगस्त, 1983 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 14012/55/76-रा०भा०(ग) द्वारा, अंग्रेजी के अतिरिक्त हिंदी में सरकारी काम करने के लिए अंग्रेजी आशुलिपिकों/टाइपस्ट्री को “हिंदी प्रोत्साहन भला” देने की योजना 15 अगस्त, 1983 से लागू की गई। इस योजना के अधीन एक निर्धारित मात्रा (हिंदी में औसतन 5 टिप्पणियाँ/प्रारूप/पत्र प्रतिदिन अथवा लगभग 300 टिप्पणियाँ/प्रारूप/पत्र प्रति तिमाही टाइप करना) में सरकारी कार्य हिंदी में भी करने के लिए अंग्रेजी आशुलिपिकों/टाइपस्ट्री को क्रमशः रुपए 30/- व रुपए 20/- प्रतिमाह विशेष प्रोत्साहन भला स्वीकार किया जा सकता था। इस योजना पर पुनः विचार के पश्चात्, इस विभाग के दिनांक 16 अगस्त, 87 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 13034/31/85-रा०भा०(ग) के अनुसार, उक्त प्रोत्साहन भले की राशि को आशुलिपिकों/टाइपस्ट्री के लिए क्रमशः रुपए 60/- व रुपए 40/- कर दिया गया है।

2. संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदन (खंड-2) में की गई सिफारिश तथा केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त मुझाव कि उक्त प्रोत्साहन भले को कंच्चुर तथा टेलीप्रिंटरों पर अंग्रेजी के साथ-साथ हिंदी में भी कार्य करने वाले कर्मचारियों को दिया जाए पर राजभाषा विभाग में विचार किया गया। इस संबंध में व्यव्य विभाग के परामर्श से यह निर्णय लिया गया है कि वे टंकक/आशुलिपिक भी उक्त प्रोत्साहन भले के लिए पात्र होंगे जो कि टाइपराइट/कंच्चुर पर अंग्रेजी के साथ-साथ हिंदी में भी उक्त निर्धारित मात्रा में सरकारी कार्य करते हैं।

3. यह आदेश व्यव्य विभाग के दिनांक 31.5.94 यू.ओ. सं० 7(33)- ई. III/94 में दी गई सहमति से जारी किया जा रहा है।